राजस्व वाद संख्याः–70 / 2019
फुली देवी बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांकः–

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. फुली देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं **(फौत)**
   1/1 राजेश कुमार फुली देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मुरादपुर।
   1/2 आजाद फुली देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मुरादपुर।
   1/3 विनोद कुमार फुली देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मुरादपुर।
   1/4 फुली देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मुरादपुर।
2. बिमला देवी पत्नी हरद्वारी लाल जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज

..........वादीगण

बनाम

1. अमर सिंह
2. कवर सिंह } पुत्राान झाबर जाति जाट निवासी मुरादपुर, तहसील बुहाना, झुन्झुनू राज
3. प्रभुराम
4. मेहरचन्द
5. जगदीश पुत्र रामनारायण
6. मायाकौर पत्नी रामनारायण } जाति जाट निवासी मुरादपुर, तहसील बुहाना, झुन्झुनू राज
7. ताराचन्द
8. बहादुर } पुत्रान बुजना जाति जाट निवासी मुरादपुर, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज
9. रामकुमार
10. वेदप्रकाश पुत्र हरनारायण
11. शिवलाल पुत्र हरनारायण } जाति जाट निवासी मुरादपुर, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज
12. सरवण पत्नी हरनारायण जााति जाट निासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू **(फौत)**
13. बाई पुत्री मलुका
14. राजेन्द्र पुत्र मलुका
15. शेराराम पुत्र मलुका } जाति जाट निवासी मुरादपुर, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज
16. रामस्वरूप पुत्र सोनिया
17. रामवतार पुत्र सोनिया } जाति जाट निवासी मुरादपुर, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज
18. हवासिंह पुत्र हरनारायण (फौत) जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं.19 लगायत 23
19. सुनिता पत्नी हावासिंह
20. सुनिल पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज
21. मन्जु पुत्री हवासिंह पत्नी रविन्द्र जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज हाल आबाद नौलाजा की ढाणी तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
22. अन्जु पुत्री हवासिंह पत्नी रविन्द्र जाति जाट नि[illegible]पुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज हाल आबाद नौलाजा की [illegible] जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
23. अन्नु पुत्री हवासिंह पत्न रिंकु जाति जाट निवासी [illegible]दपुर तहसील बुहाना [illegible] झुन्झुनूं राज हाल आबाद काकास तहसील व जिला अलवर राज।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

24. स्टेट बैंक बिकानेर एण्ड जयपुर जरिए शाखा प्रबंधक पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज.
25. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

–:निर्णयः–

दिनांक :–

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 40 रकबा 3.28 है., खसरा नम्बर 493 रकबा 0.64 है., खसरा नम्बर 542 रकबा 0.79 है., खसरा नम्बर 543 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 544 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 647 रकबा 0.86 है., खसरा नम्बर 648 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 649 रकबा 0.92 है., खसरा नम्बर 656 रकबा 1.12 है., कुल किता 10 कुल रकबा 10.73 है. के संयुक्त खातेदार कास्तकार वादीयागण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं. में वर्णित भूमि में वादीया सं. 1 का 8/267 हिस्सा, वादीया सं. 2 का 8/267 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 का 4/20 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की माता पारा देवी पत्नी झाबर का है। जो अब फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 है। इस प्रकार अब पारा देवी का हिस्सा भी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को ही मिला है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/6 हो गया है। तथा प्रतिवादी सं. 5 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 का 25/1068 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 13 का 1/108 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 का 1/49 हिस्सा, चुंकि खातेदार हवासिंह पुत्र हरनारायण फौत चुका है। जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 19 लगायत 23 को हिस्सा 1/48 है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन वर्तमान में भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे वादीयागण को भूमि में सुधार कार्य करने व अपनी भूमि की किस्म परिवर्तन में आ रही अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि का bymeets and bound के अनुसार विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भूमि का खाता विभाजन करवाने हेंतु सम्पर्क किया तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। इसलिए वादीयागण ने अपनी भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया है जो सावधि है।

4. यह कि खातेदार पारा देवी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 है। तथा खातेदार हवासिंह पुत्र रामनारायण भी फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारीसान प्रतिवादी सं. 19 लगायत 23 है। इस कारण उनको पक्षकार बनया है। तथा प्रतिवादी सं. 24 से प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने ऋण ले रखा है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है।
5. यह कि दावे के लिए आधार वाद वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से व विधिक रूप से खाता विभाजन नहीं होने से पैदा हुआ है।
6. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।
7. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार यह वाद 2 रूपये निध्रारित न्यायलय शुल्क पर सेवार्पित है।

वादी ने वाद—पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि—

(क). यह कि वाके ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 40 रकबा 3.28 है., खसरा नम्बर 493 रकबा 0.64 है., खसरा नम्बर 542 रकबा 0.79 है., खसरा नम्बर 543 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 544 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 647 रकबा 0.86 है., खसरा नम्बर 648 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 649 रकबा 0.92 है., खसरा नम्बर 656 रकबा 1.12 है., कुल किता 10 कुल रकबा 10.73 है. मे वादीया सं. 1 का 8 / 267 हिस्सा व वादीया सं. 2 का 8 / 267 हिस्सा कब्जे को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे व वाद वादीयागण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी 2075 लगायत 78 पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 24.01.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव [illegible]ाया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट क्रमांक 543 दिनांक 14.02.2023 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 21.02.2023) को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2023.09.22 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(6). बहस सुनी गई।

(7). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 40 रकबा 3.28 है., खसरा नम्बर 493 रकबा 0.64 है., खसरा नम्बर 542 रकबा 0.79 है., खसरा नम्बर 543 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 544 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 647 रकबा 0.86 है., खसरा नम्बर 648 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 649 रकबा 0.92 है., खसरा नम्बर 656 रकबा 1.12 है., कुल किता 10 कुल रकबा 10.73 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—5'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—5'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ—1 लगायत अ—5'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन ... बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 70/2019
निर्णय दिनांक :–

फुली देवी आदि **बनाम** अमरसिंह आदि
दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद में आज तारीख .... को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 40 रकबा 3.28 है., खसरा नम्बर 493 रकबा 0.64 है., खसरा नम्बर 542 रकबा 0.79 है., खसरा नम्बर 543 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 544 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 647 रकबा 0.86 है., खसरा नम्बर 648 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 649 रकबा 0.92 है., खसरा नम्बर 656 रकबा 1.12 है., कुल किता 10 कुल रकबा 10.73 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–5" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested